Annexure – 03

(13)

पत्रांक –10 / न 4–41 / 2006 मा0......../–
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक,

श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक

विषय:– डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, आर0 आर0 कॉलेज के निकट, मेन रोड, मोकामा, पटना को [illegible] प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 236 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

1. विद्यालय का संचालन निबंधित न्यास 'DAV College Trust and Management Society, New Delhi' के द्वारा किया जाता है। न्यास के शासी निकाय के सदस्यों की सूची [illegible] यह सूचना भी दी गयी है कि सदस्यों का आपस में पारिवारिक संबंध नहीं है। [illegible] से स्पष्ट है कि ये भारत के विभिन्न शहरों में निवास करते हैं। [illegible] सदस्यों का [illegible] भिन्न भिन्न है। (सूची संलग्न है)
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी / न्यास के फ्रेन्चाईजी के रूप में [illegible] Brand name का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करने का दावा किया है। [illegible] के नाम से स्पष्ट है कि यह एक संस्था का सार्वजनिक नाम है तथा शीर्ष संस्था द्वारा [illegible] एक ईकाई के रूप में चलाया जाता है। विद्यालय द्वारा DAV का नाम ब्रैन्ड के रूप में नहीं किया जाता है।
3. विद्यालय के द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप भूमि, वर्ग कमरों की संख्या, उपस्कर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि होने का दावा किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप विद्यालय की [illegible] संरचना एवं सुविधा की जाँच बोर्ड को अपने निरीक्षण दल से करा लेनी होगी।
4. विद्यालय में 17 शिक्षक है, जिनमें 5 प्रशिक्षित है। हालांकि आवेदन में शिक्षकों की योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप बतायी गयी है, जबकि 12 शिक्षकों के अप्रशिक्षित होने से सूचना में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। नियुक्ति के [illegible] विज्ञापन की प्रति संलग्न नहीं की गयी है। ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं दिया गया है [illegible] स्पष्ट हो कि नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया हो। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि नियुक्ति विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत वस्तुनिष्ठ तरीके से की गयी है।
5. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय पढ़ाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा, अंकेक्षण तथा [illegible] का दावा किया गया है। 31.03.2006 का balance sheet संलग्न किया गया है किन्तु [illegible] शुल्कों के दर की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। विद्यालय को लेखा से संबंधित प्रतिवेदन केन्द्रीय

PRINCIPAL
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
MOKAMA
SCHOOL No.-50094
AFFILIATION No.-330181

MANAGER
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
MOKAMA

[illegible] केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसे सुनिश्चित करा सकेगी ।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उक्त विभागीय अधिसूचना संख्या 236 दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्ते स्वीकार है । अपेक्षित शर्त्तों के अनुसार :—

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे [illegible] शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, [illegible] बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रूपये प्रतिवर्ष [illegible]

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी प्रकार का प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपने [illegible] के अनुसार अनिवार्य एवं आपेक्षित शर्त्तों का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्त्ते सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा ।

10. शर्त्तों के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं उपर वर्णित शर्त्तों के आधार पर डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, आर0 आर0 कॉलेज के निकट, मेन रोड, मोकामा, पटना को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है ।

12. विद्यालय से प्राप्त शपथ पत्र के रूप में आवेदन पत्र दिनांक 22.05.2006 की छायाप्रति संलग्न है ।

अनुलग्नक —यथोक्त

विश्वासभाजन

ह0/—

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक — 651 पटना, दिनांक — 13.10.06

प्रतिलिपि — प्राचार्य, डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, आर0 आर0 कॉलेज के निकट, मेन रोड, मोकामा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा